निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
502 / 2023	07.12.2023	12/2/26

लछमण पुत्र भौरीलाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर —वादी

बनाम

1. दिलिप कुमार पुत्र सुवालाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर
2. दीनदयाल पुत्र भौरीलाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर
3. रामसहाय पुत्र भौरीलाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर
4. सुवालाल भौरीलाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर — प्रतिवादीगण

भूमि विभाजन, घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती और स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 20 रकबा 0.09 है० गै०मु०चाह, ख0नं0 24 रकबा 0.04 है० गै०मु०रास्ता, ख०नं० 25 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 26 रकबा 0.26 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है० ग्राम चक रेंडायलगुर्जर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसी प्रकार ख0नं0 19 रकबा 0.30 है०, ख०नं० 27 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 28 रकबा 0.21 है०, ख0नं0 29 रकबा 0.84 है0 कुल रकबा 1.60 है० ग्राम चक रेंडायलगुर्जर में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/4 है। वादी के हिस्से से किसी अन्य व्यक्ति का कोई वास्ता नहीं है। वादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है परन्तु कुछ समय से प्रतिवादी संख्या 3 कुछ लोगों से मिलीभगत कर वादी को कब्जे काश्त में परेशानी उत्पन्न कर रहा है। दिनांक 2.12.2023 को जबवादी ने प्रतिवादीगण से सहमति से तहसीलदार वजीरपुर के यहां चलकर भूमि का बंटवारा कराने की बात कही तो प्रतिवादी नं० 3 ने अपनी सहमती नहीं दी व टालमटोल किया। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी दावा डिक्री फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 20 रकबा 0.09 है० गै०मु०चाह, ख0नं0 24 रकबा 0.04 है० गै०मु०रास्ता, ख0नं0 25 रकबा 0.26 है०, ख0नं0 26 रकबा 0.26 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है० ग्राम चक रेंडायलगुर्जर एवं भूमि ख0नं0 19 रकबा 0.30 है०, ख0नं0 27 रकबा 0.25 है०, ख0नं0 28 रकबा 0.21 है०, ख0नं0 29 रकबा 0.84 है० कुल रकबा 1.60 है० ग्राम चक रेंडायलगुर्जर में रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बंटवारा किया जाकर वादी का अलग से खाता कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उपरोक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:37:52 IST
Reason: Self Attested

भूमि को किसी प्रकार किसी व्यक्ति को रहन, वय, बन्धक, गिरवी नहीं करें ना ही वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य सें करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर की ओर से वादपत्र का कोई जबाबप्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता उक्त भूमि का 40 वर्ष पूर्व अपने जीवनकाल में ही 1/4 हिस्से का बंटवारा कर गए थे। तभी से वादी व प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। इसके अनुसार भूमि ख०नं0 27, 28 व 19 पर वादी व प्रतिवादी नं0 4 का कब्जा काश्त है व ख०नं० 29 पर प्रतिवादी नं0 2 व 3 का कब्जा काश्त है। इसी तरह ख०नं0 20, 24, 25 व 26 पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादपत्र में वर्णित भूमि का हिस्सा व कब्जा काश्त के आधार पर बंटवारा कर दिया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2075 से 2078 खाता संख्या 8, 11 ग्राम चक रेंडायलगूजर, प्रस्तुत की है।

दिनांक 20.02.2025 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से पत्रांक भूअ/2025/936 दिनांक 10.10.2025 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी गई। जो पत्रावली मे संलग्न है।

वकील वादी की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का तथा तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. दिलीप कुमार पुत्र सुआलाल हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार, दीनदयाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह रहन बीआरकेजीबी मौहचा, लक्ष्मण पुत्र भौरीलाल हि0 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह, सुखनंदन सिंह पुत्र बुधराम सिंह हि0 1/8 जाति जाटव निवासी रेडायल तुर्क, सुआलाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 20 रकबा 0.09 है0 ख0न0 24 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 है0 ग्राम चक रेंडायल गुर्जर रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:37:52 IST
Reason: SelfAttested

2. दिलीप कुमार पुत्र सुआलाल जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 25 रकबा 0.26 है0 ग्राम चक रेंडायल गुर्जर रहेगी।

3. लक्ष्मण पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 26 रकबा 0.26 है0, ख0न0 29/1 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.46 है0 ग्राम चक रेंडायल गुर्जर रहेगी।

4. रमेश चंद यादव पुत्र बुधराम हि0 10/140 जाति जाटव निवासी रेडायलतुर्क खातेदार, दीनदयाल पुत्र भौरीलाल हि0 47/140 जाति ब्राह्मण सा0 देह रहन बीआरकेजीबी मौहचा, सुखनंदन सिंह पुत्र बुधराम सिंह हि0 36/140 जाति जाटव निवासी रेडायल तुर्क खातेदार, सुआलाल पुत्र भौरीलाल हि0 47/140 जाति ब्राह्मण सा0 रेडायलगुर्जर खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 19 रकबा 0.30 है0, ख0न0 27 रकबा 0.25 है0, ख0न0 28 रकबा 0.21 है0, ख0न0 29/2 रकबा 0.64 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.40 है0 ग्राम चक रेंडायल गुर्जर रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:37:52 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लछमण पुत्र भौरीलाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर ——वादी

बनाम

1. दिलिप कुमार पुत्र सुवालाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर
2. दीनदयाल पुत्र भौरीलाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर
3. रामसहाय पुत्र भौरीलाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर
4. सुवालाल भौरीलाल, ब्राह्मण नि० रेण्डायल गुर्जर तह० वजीरपुर
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर —— प्रतिवादीगण

भूमि विभाजन, घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती और स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 502/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. दिलीप कुमार पुत्र सुआलाल हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार, दीनदयाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह रहन बीआरकेजीबी मौहचा, लक्ष्मण पुत्र भौरीलाल हि0 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह, सुखनंदन सिंह पुत्र बुधराम सिंह हि0 1/8 जाति जाटव निवासी रेडायल तुर्क, सुआलाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/8 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 20 रकबा 0.09 है0, ख0न0 24 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 है0 ग्राम चक रेंडायल गुर्जर रहेगी।
2. दिलीप कुमार पुत्र सुआलाल जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 25 रकबा 0.26 है0 ग्राम चक रेंडायल गुर्जर रहेगी।
3. लक्ष्मण पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 26 रकबा 0.26 है0, ख0न0 29/1 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.46 है0 ग्राम चक रेंडायल गुर्जर रहेगी।
4. रमेश चंद यादव पुत्र बुधराम हि0 10/140 जाति जाटव निवासी रेडायलतुर्क खातेदार, दीनदयाल पुत्र भौरीलाल हि0 47/140 जाति ब्राह्मण सा0 देह रहन बीआरकेजीबी मौहचा, सुखनंदन सिंह पुत्र बुधराम सिंह हि0 36/140 जाति जाटव निवासी रेडायल तुर्क खातेदार, सुआलाल पुत्र भौरीलाल हि0 47/140 जाति ब्राह्मण सा0 रेडायलगुर्जर खातेदार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:37:52 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी मे भूमि ख0न0 19 रकबा 0.30 है0, ख0न0 27 रकबा 0.25 है0, ख0न0 28 रकबा 0.21 है0, ख0न0 29/2 रकबा 0.64 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.40 है0 ग्राम चक रेंडायल गुर्जर रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 1/2/26 को जारी किया गया।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:37:52 IST
Reason: SelfAttested